संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा

मध्यप्रदेश, भोपाल

क./संपेभनिबी/भण्ड़ार /2021–22/4639 भोपाल, दिनांक :28.03.2022

//निविदा सूचना कमांक–01/वाहन/2021–22//

संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा के अधिकारियों के उपयोग हेतु टैक्सी कोटे में पंजीकृत 02+02 कुल 4 वाहनों को भोपाल स्थित वाहन प्रदायकर्ता/ट्रेवल्स एजेंसी से मासिक किराये पर लेने के लिये निविदाएं आमंत्रित की जाती है ।

निविदा प्रपत्र निर्धारित राशि ₹ 500/– नगद जमा कर संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल से दिनांक 04.04.2022 से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है । निविदा विकय की अंतिम तिथि दिनांक 18.04.2022 को अपरान्ह 5.00बजे तक होगी । निविदाएं दिनांक 19.04.2022 को अपरान्ह 12.00बजे तक जमा की जावेगी । निविदाएं दिनांक 20.04.2022 को अपरान्ह 3.00बजे उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से संबंधित विस्तृत नियम एवं निर्देश संचालनालय की वेबसाइट www.pension.mp.gov.in पर देखी जा सकती है ।

उप संचालक
पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा
म.प्र.

संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा

मध्यप्रदेश, भोपाल

क./संपेभनिबी/भण्डार /2021–22/ भोपाल, दिनांक : .03.2022

//निविदा सूचना कमांक–01/वाहन/2021–22//

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रू. 500/–

1.1 निविंदा कार्यक्रम :–

निविदा प्रपत्र का विकय	: दि. 04.04.2022 से (कार्यालयीन समय में)
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	: दि. 19.04.2022 अपरान्ह 12.00बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	: दि. 20.04.2022 को अपरान्ह 3.00बजे

1.2 निविदा प्रपत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की सूची :–

1 संस्था/फर्म/व्यक्ति के पंजीयन की प्रति ।

2 संस्था के पैन नंबर एवं विगत 3 वर्षों के आयकर रिटर्न की छायाप्रति

3 जीएसटी विभाग में पंजीयन का प्रमाण पत्र ।

4 विभिन्न मॉडल के टैक्सी कोटा में पंजीकृत वाहनों के पंजीयन एवं संख्या की जानकारी संलग्न प्रपत्र–2 में दी जावें।

5 शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में विगत 3 वर्षो के कार्यानुभव की प्रति ।

6 वर्तमान कार्यादेश (यदि कोई हो) की प्रतिलिपि ।

7 **निविदा के लिए 2 लिफाफा पद्धति अपनाई जावेगी। लिफाफा कमांक–01 में धरोहर राशि**
(ई.एम.डी.), प्रपत्र–1, प्रपत्र–2 एवं निविदा शर्तो के अनुसार आवश्यक समस्त दस्तावेज रखे जायेंगे। उक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से यह लिखा जावेगा–

लिफाफा कमांक–01 – "धरोहर राशि (ई.एम.डी.) एवं निविदा शर्तो के अनुसार आवश्यक समस्त दस्तावेज का लिफाफा"

लिफाफा कमांक–02 – द्वितीय लिफाफा फायनेंशियल बिड का होगा जिसमें प्रपत्र–3 में दरें प्रस्तुत की जावेगी। जिस पर स्पष्ट रूप से यह लिखा जावेगा–

लिफाफा कमांक–02 "फायनेंशियल बिड का लिफाफा"

2– धरोहर राशि (ई.एम.डी.) :–

2.1 निविदा के साथ प्रस्तुत धरोहर राशि ₹ 5000/–स्थानीय शेड्यूल बैंक के डिमांड ड्रॉफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. भोपाल के पक्ष में देय होगी।

2.2 असफल निविदाकारों की धरोहर राशि (ई.एम.डी.) वापस कर दी जावेगी, परंतु द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार की धरोहर राशि सफल निविदाकार से अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद वापस की जावेगी । निविदा स्वीकृति की सूचना के 15 दिवस के भीतर अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।

2.3 निविदा को स्वीकृत या बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा को होगा।

3– <u>निष्पादन सुरक्षा जमा</u> :–

3.1 निविदा स्वीकृत होने पर अनुबंध के समय निविदाकार को कार्यालय में लगने वाले वाहनों के लिए प्रति वाहन ₹ 20,000/– (₹ बीस हजार मात्र) परफारमेंस सिक्यूरिटी एफ.डी.आर. के रूप में जमा करनी होगी ।

3.2 परफारमेंस सिक्यूरिटी राशि जमा होने पर, निविदा धरोहर राशि वापस की जाएगी। परफारमेंस सिक्यूरिटी अनुबंध की समाप्ति के एक माह पश्चात पर निविदाकर को वापस कर दिया जावेगा। निर्धारित परफारमेन्स सिक्यूरिटी जमा नहीं करानें की स्थिति में अनुबंध नहीं किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

4– <u>अनुबंध की अवधि</u> :–

4.1 अनुबंध की अवधि कार्यादेश के दिनांक से एक वर्ष की होगी। निविदाकार का कार्य संतोषजनक होने पर संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. द्वारा वाहन मालिक से प्रस्ताव प्राप्त होने पर यह अवधि एक बार में एक वर्ष तथा अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी । वाहन मालिक को प्रस्ताव अनुबंध अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व प्रस्तुत करना होगा । एजेंसी/संस्था/व्यक्ति अधिकारपूर्वक यह दावा नहीं कर सकेगी ।

4.2 एजेन्सी द्वारा अनुबंध की शर्तो/प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।

4.3 संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण दर्शाये एक माह का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

5— वाहन से संबंधित सामान्य शर्ते :—

5.1 मुख्यालय पर यात्रा हेतु 800 किमी. हेतु प्रतिमाह फिक्स दर एवं मुख्यालय से बाहर यात्रा हेतु प्रति किमी. दर दैनिक आधार पर दी जावें, जिसमें वाहन चालक का वेतन, वाहन का ईंधन, संधारण, मरम्मत एवं शासन के समस्त करों/शुल्क (टोल टैक्स) होने वाले समस्त व्यय शामिल होंगे।

5.2 मुख्यालय से बाहर की गई यात्रा (कि.मी.) का समायोजन मुख्यालय पर की गई वास्तविक यात्रा (कि.मी.) को मासिक निर्धारित कि.मी. से करते हुए भुगतान कार्यवाही की जावेगी । अधिक/अतिरिक्त यात्रा हेतु प्रति कि.मी. प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जावेगा ।

5.3 वाहन मय वाहन चालक के प्रभारी अधिकारी/संबंधित अधिकारी के नियंत्रण में सदैव उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

5.4 वाहन वर्ष 01.01.2020 अथवा उसके पश्चात का मॉडल होना चाहिए वाहन टैक्सी कोटा में रजिस्टर्ड होना चाहिए । वाहन का काम्प्रीहेन्सीव इन्श्योरेंस होना अनिवार्य होगा, जो वाहन टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड नहीं है ।

5.5 बंधक रखी वाहनों के संबंध में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा एवं वाहन जब्त होने की दशा में अनुबंधित निविदाकार तत्काल दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगा।

5.6 वाहन किराये का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात निविदा अनुबंध के अनुसार प्रस्तुत किए गए निर्धारित दरों पर बिल के सत्यापन के पश्चात आवश्यक नियमानुसार कटौत्रों के बाद ही किया जावेगा ।

5.7 वाहन की यात्रा/रीडिंग वाहन को उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित की जावेगी जिसके लिए वाहन में लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा।

5.8 वाहन के लिए फ्यूल, डीजल/पेट्रोल/ऑयल की आवश्यक व्यवस्था अनुबंधकर्ता द्वारा की जाएगी ।

5.9 वाहन का माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा ।

5.10 वाहन का नियमित अनुरक्षण एवं मरम्मत अनुबंधकर्ता को कराना होगा, जिसका व्यय तथा शासकीय करों आदि का व्यय अनुबंधकर्ता को स्वयं वहन करना होगा । निविदादाता अथवा वाहन चालक द्वारा मरम्मत या अन्य कार्य के लिए वाहन ले जाए जाने पर की गयी अशासकीय यात्रा का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा।

5.11 वाहन की किसी भी प्रकार की दुर्घट्ना या क्षति के लिए, संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. कार्यालय जिम्मेदार नहीं रहेगा, इसके लिए अनुबंधकर्ता संस्था/व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।

यदि प्रदाय किया गया वाहन संस्था के मालिक के नाम से पंजीकृत नहीं है तो संस्था एवं वाहन मालिक के मध्य संपादित करारनामा प्रस्तुत करना होगा।

6. कर, शास्ति एवं पक्षकारों के मध्य विवाद :–

6.1 नियमों/शर्तो के उल्लंघन के फलस्वरूप वसूल की गयी राशि अनुबंधकर्ता संस्था/व्यक्ति को वापस नही की जावेगी।

6.2 संपादित अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

6.3 प्रवास के दौरान मार्ग में वाहन से संबंधित कोई असुविधा होने पर अनुबंधकर्ता अपनी व्यवस्था एवं स्वयं के व्यय से अधिकारी को पहुंचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी होगा।

6.4 वाहन चालक के आचरण/व्यवहार अच्छा होना चाहिए इसका पुलिस सत्यापन अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा कराया जावेगा। वाहन चालक के पास वैद्य लाईसेंस होना चाहिए तथा निविदाकार को वाहन चालक के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर वाहन चालक बदलकर नया वाहन चालक देना होगा।

6.5 निविदाकार द्वारा वाहन चालक ऐजेन्सी का मोनो लगा हुआ वर्दी प्रदाय करना होगा जिसे वाहन चालक द्वारा धारण करना अनिवार्य होगा।

6.6 वाहन के उपयोग के दौरान दुर्घट्ना से होने वाली आर्थिक क्षति अथवा जनहानि के लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल द्वारा नहीं की जावेगी। वाहन चोरी, अग्नि दुर्घटना तथा आंदोलन से होने वाली क्षति के लिए भी अनुबंधकर्ता संस्था/व्यक्ति ही जिम्मेदार होगा ।

6.7 वाहन खराब होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था अनुबंधकर्ता संस्था/व्यक्ति को करना होगी। अपरिहार्य परिस्थिति में अन्य वाहन का उपयोग करने के लिए प्रभारी अधिकारी स्वतंत्र रहेंगे, जिस पर आने वाले व्यय की प्रति पूर्ति निविदाकार द्वारा की जावेगी।

6.8 म्युनिसिपल टैक्स,वाहन, काम्प्रेहेनसिव बीमा एवं सर्विस टैक्स इत्यादि जो शासन, स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभारित किए जाएंगे। वह अनुबंधकर्ता संस्था/व्यक्ति को व्यय करना होगा। इसके लिए कोई दावा प्रथम पक्षकार को नहीं किया जावेगा ।

6.9 वाहन का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का व्यय भार एवं अन्य वैधानिक व्यय भार की निविदाकार/एजेंसी को वहन करना होगा।

6.10 वाहन की मरम्मत/रखरखाव अथवा अन्य किसी कार्य हेतु उपयोग किए जाने की स्थिति में अनुबंधकर्ता संस्था/व्यक्ति द्वारा उसी स्तर का अन्य वाहन उपलब्ध करना होगा।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक

पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा

म.प्र.

प्रपत्र–1

संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा
मध्यप्रदेश, भोपाल

निविदाकार/एजेन्सी का नाम ....

निविदा सूचना कमांक..

धरोहर राशि का विवरण :..

डिमांड ड्रॉफ्ट/एफ.डी.आर. का कमांक.............................दिनांक..

बैंक का नाम ....राशि..

एतद् द्वारा मैं ....(निविदा कार/एजेंसी का नाम)

..............................पुत्र श्री ....निवासी..

पूर्ण पता...

घोषणा करता हू कि मेरे द्वारा निविदा की सभी शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ ली गई है तथा सभी शर्ते मुझे स्वीकार है ।

संलग्न दस्तावेजों की सूचीः–

1...

2...

3...

4...

निविदाकार/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

एजेंसी/फर्म का नाम ....

पूर्ण पता...

मोबाईल नंबर...

दिनांक : .04.2022

प्रपत्र–2

1. वाहन संबंधी जानकारी :–

स.क.	वाहन का प्रकार	वाहन का प्रकार पेट्रोल/डीजल	वाहन का मेक ईयर	वाहन का रजिस्ट्रेशन कमांक	वाहन मालिक का नाम व पूर्ण पता
1	2	3	4	5	6
1	सिडान				
2	हैचबैक				
3	मिनी एसयूव्ही.				

स्थान : भोपाल
दिनांक : .04.2022

निविदाकार के हस्ताक्षर

एजेंसी/फर्म का नाम............................

संबंधित का आधार कमांक ....

संबंधित का मोबाईल कमांक ....

प्रपत्र–3

दरें (वाहन चालक एवं सर्विस टैक्स सहित) (ए.सी./नॉन ए.सी.)

स.क्र.	वाहन का प्रकार	मासिक/दैनिक दरें	
		मुख्यालय पर 800 कि.मी. तक यात्रा हेतु प्रतिमाह फिक्स दर	मुख्यालय से बाहर की यात्रा हेतु प्रतिदिन/प्रति कि.मी.दर
1	सिंडान		
2	हैचबैक		
3	मिनी एसयूव्ही.		

स्थान : भोपाल

दिनांक : .04.2022

निविदाकार के हस्ताक्षर

एजेंसी/फर्म का नाम.............................